अधिसूचना सं०–3–हि 3–303/70–291–रा०, दिनांक 20 जुलाई, 1972, मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय, बिहार सरकार द्वारा।

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 (प्रतिलिपि संलग्न) में निम्नांकित संशोधन करते है :–

(क) बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 में नियम 8 के बाद निम्नांकित नियम जोड़ दिया गया है :–

''9–सरकार विशेष परिस्थिति में एक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिसके सदस्य मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्त तथा सचिव, कार्मिक विभाग रहेंगे, उपर्युक्त नियमों में से किसी एक या एक से अधिक को शिथिल कर सकेगी।''

(ख) बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 का नियम संख्या 9 बदल कर नियम संख्या 10 कर दिया गया है।

ज्ञाप सं० 291–रा०, पटना–15 दिनांक–20 जुलाई, 1972 की प्रतिलिपि उप सचिव, मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय द्वारा सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को प्रेषित।

सभी अनुमंडलाधिकारी को अधिसूचना सं० 361, दिनांक–15 जून, 1968 की प्रतिलिपि के साथ इसकी प्रति सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाती है।

2. अनुरोध है कि इस संशोधन के अधीन बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 के किसी नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव विभागीय सचिव के माध्यम एक संलेख के रूप में संलेख की सात प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय में भेजा जाय ताकि उसे उच्चस्तरीय समिति के सम्मुख रखा जा सके। नियम को शिथिल करने के लिये पत्र संचिका सीधे न भेजी जाय।